न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :—सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—12 / 2021

जीसीएमएस नं.:—2021 / 147

1. जोगेन्द्रसिंह पुत्र सोहनसिंह
2. जरनैलसिंह पुत्र मुख्तयारसिंह

   अकवाम कम्बोजसिंह साकिन 54 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. प्रतापसिंह पुत्र छिन्दासिंह
4. मनजीतसिंह पुत्र छिन्दासिंह
5. स्वर्णसिंह पुत्र छिन्दासिंह

   अकवाम जटसिख साकिन 54 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. बलजीतकौर पत्नी सरजीतसिंह पुत्री छिन्दासिंह जाति जटसिख निवासी चक 27 ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——प्रार्थीगण

बनाम्

1. लक्षमणराम पुत्र भोमाराम जाति बावरी निवासी चक 54 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. रेवन्ताराम पुत्रउ लिखमाराम जाति नायक निवासी चक 54 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अर्न्तगत धारा—251 'क' राज.काश्त अधिनियम

1. श्री राजेन्द्रसिंह एडवोकेट आवेदकगण की ओर से
2. श्री हंसराज डाल एडवोकेट अनावेदक सं.—1 की ओर से
3. राज पैरोकार अनावेदक सं.—2 की ओर से
4. एक पक्षीय कार्यवाही अनावेदक सं.—3 की ओर से

—:: निर्णय [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:02:16 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने न्याया[illegible] में [illegible] पत्र अर्न्तगत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन [illegible] कि प्रार्थीगण के कृषि भूमि के वाके चक 54 जी बी तहसील अनूप[illegible] 456 की कुल 6. 200 हैक्टर के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में से 2—2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है जिसे स्वीकृत किया जावे जो रास्ता अप्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में दर्ज वर्णित कृषि भूमि में पहुचंता है चाहा गया रास्ता स्वीकृत होने से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आ जा

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सकेगे तथा जो रास्ता गावं में जाने वाले खडंवजा सडक से मेन रोड से जुड जाऐगा जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आसानी से आवागमन कर सकेंगे। नजरी नक्शा सलग्नं है। प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि में आने जाने के लिए विद्यमान में कोई मार्ग नही है प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग लघुतम, सबसे छोटा व सुगम रास्ता है जिसकी प्रार्थीगण को अत्याधिक आवश्यकता है। जिसके लिए प्रार्थीगण नियमानुसार अवधारित प्रतिकर संदय करने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त कृषि भूमि में के लिऐ उक्त अप्रार्थीगण से अरसा पाचं दिन पूर्व नया मार्ग बनाने / स्वीकृत करवाने के लिऐ आग्रह किया तो वह स्पष्ट इन्कार हो गया और स्पष्ट रूप से धमकी दी कि वह अप्रार्थीगण को उनकी कृषि भूमि में आवागमन के लिऐ अपनी भूमि के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 मे से कोई रास्ता नही देगा इसलिए आवेदन पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में दर्ज किया गया है, में आवागमन के लिऐ अप्रार्थीगण के धारणाधिकार, कब्जा व अधिपत्य की वाके चक 54 जी बी तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–18 पं.नं.–234/456 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में से 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता का रिकार्ड में अकन करने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–1 की ओर से श्री हंसराज डाल एडवोकेट ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया। कि मुरब्बा नम्बर 28 व 29 के काश्तकारों को अपने खेत में आने जाने के लिए चक 55 जी.बी जो कि प्रार्थीगण के खेत से मात्र 3 मुरब्बा दूरी पर है तथा चक 55 जीं.बी मुख्य सड़क डामर रोड़ से दो मुरब्बा दूरी पर है उस रास्ते का उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण कर रहे हैं तथा मुझ अप्रार्थी के विरूद्ध मुरब्बा नम्बर 19 के काश्तकार रेंवताराम पुत्र लिखमाराम व मुरब्बा नम्बर 28 व 29 के काश्तकारों ने मिलकर षडयंत्रपूर्वक यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा मुरब्बा नम्बर 19 जो कि मुरब्बा नम्बर 28 के समान्तर/सीध में है जो कि उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था जिसे जानबूझकर प्रार्थीगण द्वारा इसको पक्षकार नहीं बनाया और ना ही इसकी कृषि भूमि से इन्होनें रास्ते की मांग की है क्योंकि ये आपस में मिले हुए हैं तथा श्रीमान जी स्वयं जाकर मौका मुआयना देखेंगे तो स्वतः ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण सं.–2 तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थीगण जरनैलसिंह मुरब्बा नं.–28 का किला नं.–1 ता 13/1 व प्रार्थी जोगेन्द्रसिंह [illegible] मुरब्बा नं.–28 का किला नं. –13/2 ता 25 रकबा व प्रार्थी छिन्दासिंह के वारिसान मुरब्बा नं.–[illegible] का किला नं.–1 ता 10 रकबा को आवागमन हेतु कोई स्वीकृत शुदा चालू रास्ता नहीं लगता है। उक्त रकबे के लिए प्रार्थीगण द्वारा मुरब्बा नं.–18 के किला नं.–1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 0.025 हैक्टर रास्ते की मांग की गई है। मुरब्बा नं.–18 के किला नं.–1 ता 5 में 0.025 हैक्टर प्रत्येक में (16.5 फुट) मौका पर खड़वजा सड़क चालू है। प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:02:16 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

मुरब्बा नं.–18 का किला नं.–1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 0.025 हैक्टर रास्ता सुगम एव निकटतम व उचित है। अप्रार्थी से दूरभाष पर सम्पर्क किया गया उक्त प्रस्तावित रास्ता देने में असहमति जाहिर की। मौका कार्यवाही पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया।।

तदुपरांत बहस अंतिम सुनी जाकर मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार, अनूपगढ़ से क्रमांक रीडर/24/1577 दिनांक 13.11.2024 रिपोर्ट एवं नक्शा से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को अपने खेत में जाने के लिए चक 54 जी बी तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–18 पं.नं.–234/456 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में से 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत खेत हेतु मांग की है। प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु उक्त रास्ता सुगम एव निकटतम व उचित है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के लिये उपयुक्त है जो रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाना उचित है। चाहा गया मार्ग सुगम एव निकटतम व उचित मार्ग है जो मार्ग स्वीकृत किए जाने पर प्रार्थीगण की भूमि को उपलब्ध हो सकेगा। मार्ग की ऐवज में आवेदकगण राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी. दर) के दो गुणा राशि का भुगतान करने को तैयार है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत इस न्यायालय को किसी भी काश्तकार को भूमि से रास्ता खेत स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर आवेदक की कृषि भूमि **चक 54 जी बी तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–18 पं.नं.–234/456 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में से 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत** अपने खेत में आने जाने के लिये उपयुक्त, सुगम एव निकटतम व उचित है जो रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त रास्ता में आई भूमि की ऐवज में **राज.काश्त.(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज. स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि** तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थीगण को दिये जाते है। तहसीलदार अनूपगढ को आदेशित किया जाता है एवं उक्त प्रतिकर राशि जमा होने के उपरान्त तहसीलदार अनूपगढ़ स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमल दरामद करें रास्ता में आई भूमि की राशि अप्रार्थी को प्रतिकर के रूप में भुगतान किया सुनिश्चित करें।

निर्णय आज **दिनांक** 30/04/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:02:16 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर ... जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़